प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 30 दिसम्बर 2019 को आहूत वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 30 दिसम्बर 2019 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी–सांची, मिशन निदेशक–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अपर मिशन निदेशक–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, निदेशक–चिकित्सा उपचार/पी0एच0सी0, निदेशक–परिवार कल्याण, तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्य अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल/जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका–जिला स्तरीय चिकित्सालय, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं प्रबंधकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग बैठक के दौरान दिये गये निर्देश निम्नवत हैं–

एन0जी0टी0/बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट–

1. राज्य स्तर पर प्राप्त सूचना के अनुसार बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु 12 जनपदों द्वारा अभी तक अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किये गये हैं तथा 03 जनपदों द्वारा अनुबन्ध की सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शीघ्रातिशीघ्र अनुबंध हस्ताक्षरित करते हुये सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित करें। साथ ही साथ निर्देशित किया गया कि अनुबन्ध हो जाने के उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सी से कार्य लेना सुनिश्चित करें।
2. अवगत कराया गया कि 10 जनपदों में बायो मेडिकल वेस्ट कलैक्शन शेड के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन नहीं किया गया है तथा जनपद बस्ती, गोण्डा, बिजनौर एवं संत कबीर नगर के द्वारा निर्माण सम्बन्धी सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित नहीं की गयी है। निर्देशित किया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट कलैक्शन शेड का निर्माण फरवरी 2020 तक नियमानुसार करवाते हुये फोटोग्राफ के साथ रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. डीप बरियल पिट के विषय में जनपदों द्वारा अवगत कराया गया कि कई जनपदों में निविदा का कार्य हो गया है, कुछ में शेष है। कुछ जनपदों में कार्यादेश निर्गत किये जा रहे हैं। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि डीप ब्यूरल पिट का आगामी 15 दिनों के अन्दर निर्माण सुनिश्चित करायें।
4. बायो मेडिकल वेस्ट मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष माह नवम्बर तक 21 जनपदों के जिला स्तरीय चिकित्सालयों तथा 16 जनपदों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शून्य व्यय किया गया है। निर्देशित किया गया कि नियमानुसार उपलब्ध बजट के सापेक्ष व्यय करना सुनिश्चित करें।
5. ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु जल निगम को कार्यादेश निर्गत किये गये हैं, निर्देशित किया गया कि आपसी सामन्जस्य के माध्यम से 15 जनवरी तक कार्य प्रारम्भ करवाना तथा ससमय कार्य पूर्ण करवायें।
6. निर्देशित किया गया कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति के समक्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति एवं आ रही सम्बन्धित समस्याओं को अवश्य रखें। बैठक के कार्यवृत्त में समस्याओं का अंकन अवश्य करवायें।

आयुष्मान भारत योजना–

7. निर्देशित किया गया कि योजना के अर्न्तगत 01 जनवरी 2020 से 31 मार्च, 2020 तक गोल्डेन कार्ड बनाने हेतु विशेष अभियान का संचालन किया जाना है, जिसमें अधिक से अधिक लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. योजना के अर्न्तगत लाभार्थियों के चिन्हीकरण हेतु पुनः सर्वे किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया जा रहा है, निर्देशित किया गया कि शासनादेश के अनुसार 31 जनवरी 2020 तक सर्वे का कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। फरवरी 2020 में सम्बन्धित डाटा को डाटा इन्ट्री आपरेटर के माध्यम से पोर्टल पर फीड किया जाना है, निर्देशित किया गया कि डाटा इन्ट्री आपरेटर से अन्य कार्य न करवाकर मात्र डाटा इन्ट्री करवाना सुनिश्चित करें।
9. निर्देशित किया गया कि योजना के अर्न्तगत चिकित्सालय में आने वाले रोगियों हेतु विशेष व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में जारी किये जा रहे शासनादेश के अनुसार व्यवस्था की जानी सुनिश्चित करें।
10. योजना के विषय में आम जनमानस में जानकारी का अभाव है, अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करवायें, साथ ही साथ नियमानुसार समस्त लाभार्थियों को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्तसामुदायिक केन्द्रों को योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध करने की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चत करें। यह भी सुनिश्चित करें कि चिकित्सालयों को आबद्ध करने का प्रस्ताव देते समय अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों के सापेक्ष विशेषज्ञता का चयन किया जाये।
12. आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत समस्त चिन्हित लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनवाना एवं उनका वितरण सुनिश्चित करें। कार्ययोजना बनाकर कार्य करें, समस्त ग्रामों को योजना के अर्न्तगत संतृप्त करने हेतु कार्य में तेजी लायें। सुनिश्चित करें कि किसी भी लाभार्थी का बगैर आधार कार्ड के गोल्डेन कार्ड न बनाया जाये

हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर–

13. हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर का निर्माण एवं ब्रांडिग 15 जनवरी 2020 तक पूर्ण करवाना तथा नियमानुसार क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ नियमित रूप से समीक्षा की जानी सुनिश्चित करें।
14. सुनिश्चित करें कि हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में चिन्हित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक उपलब्ध हों तथा चिन्हित स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर प्रशिक्षण के उपरान्त सी0एच0ओ0 कार्यरत हो जायें।
15. एन0सी0डी0 पोर्टल पर खराब फीडिंग पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मियों/आशाओं को गैर संचारी रोग के मॉड्यूल में शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षित किया जाना तथा पोर्टल पर फीडिंग करवाना सुनिश्चित करें।
16. हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर कार्यरत सी0एच0ओ0 को परफारमेंस बेस्ड इन्सेंटिव (पी0बी0आई0) का भुगतान ससमय किया जाये तथा सी0एच0ओ0 के माध्यम से सेण्टर की दैनिक एवं मासिक रिर्पोटिंग भी सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला–

17. निर्देशित किया गया कि 02 फरवरी 2020 से प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रत्येक रविवार को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाना है। इस सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया जा रहा है, जिसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
18. प्रत्येक मेले में कम से कम एक एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक एवं 2–3 अन्य विधा के चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। मेडिकल कॉलेज के रेजीडेण्ट एवं पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूट के प्रशिक्षुओं का प्रयोग भी मेले में किया जा सकता है। साथ ही साथ आई0एम0ए0 के साथ समन्वय स्थापित करते हुये निजी चिकित्सकों की मेले में सहभागिता सुनिश्चित करें।
19. मेले में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता एवं जांच की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
20. निर्देशित किया गया कि 02 फरवरी को आयोजित किये जा रहे मेले का शुभारम्भ प्रभारी मंत्री के द्वारा किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा नियमित रूप से मेले का अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

अन्य बिन्दु–

21. अवगत कराया गया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने वाले मानव संसाधन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से एक शासनादेश जारी कर दिया गया है (शासनादेश संख्या–8/2019/20/1/91–का–2/2019 दिनांक 18 दिसम्बर 2019) जिसमें मानव संसाधन को जेम पोर्टल के माध्यम से लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने वाले मानव संसाधन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही साथ आउटसोर्सिंग के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का भी पालन किया जाये।
22. निर्देशित किया गया कि 01 फरवरी 2020 से समस्त जन्मों का पंजीकरण मात्र Civil Registration System (CRS) में किया जाना है। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका नियमित रूप से इसकी समीक्षा करें तथा शत–प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करायें।
23. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समन्वय के माध्यम से निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम में होने वाले संस्थागत प्रसव के आंकडों एवं टी0बी0 का उपचार कराने वाले मरीजों की संख्या को सम्बन्धित चिकित्सालयों से प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
24. निर्देशित किया गया कि 06 जनवरी 2020 सेप्रारम्भ होने वाले सघन मिशन इन्द्रधनुष अभियान–2.0के द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक संचालित करवाना सुनिश्चित करें।
25. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री घोषणा में आच्छादित परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करना तथा ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
26. सेवाप्रदाता/टेण्डर की अवधि बढाने के प्रकरण में सक्षम स्तर से स्पष्ट दिशा–निर्देश के आधार पर कार्यवाही हो। बिना सक्षम स्तर के लिखित अनुमोदन के निर्णय लेने वालों के विरूद्ध कडी कार्यवाही होगी।
27. निर्देशित किया गया कि वित्त उपाशय (निविदा की अवधि बढ़ाने/स्वीकृति देने से सम्बन्धित) से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के कार्य हेतु मौखिक निर्देश मान्य नहीं होंगे, मौखिक निर्देशों के स्थान

पर लिखित निर्देशों का ही पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा यथावश्यक लिखित दिशा–निर्देश दिये जायें।

अन्त में निर्देशित किया गया कि उपरोक्त समस्त निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(विजय विश्वास पन्त)
मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019–20 / 16 / 8969-12 दिनांकः 27-01-2020

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरूष / महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
11. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक एवं समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

27/01/2020

(विजय विश्वास पन्त)
मिशन निदेशक